न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 312/2022
आरसीएमएस नं. :–2022/312

बजरंगलाल पुत्र सोहनलाल पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन गालड़ तहसील राजगढ जिला चुरू (राज0)

––अपीलार्थी

बनाम

1. प्रताप पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन गालड़ तहसील राजगढ जिला चुरू (राज0)
2. शांति
3. मैना
4. विमला
5. गुड्डी
6. इन्दु

पिसरान काशीराम जाति जाट साकिन गालड़ तहसील राजगढ जिला चुरू (राज0)

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदर (राजस्व) भादरा।
8. चमेली देवी पत्नी सोहनलाल जाति जाट साकिन गालड़ तहसील राजगढ जिला चुरू (राज0)
9. सुनीता पुत्री लावल्द फौत
10. अनिता पुत्री
11. बबीता पुत्री
12. वशु पुत्री
13. कविता पुत्री
14. ओमपति पुत्री
15. सरिता पुत्री

जाति जाट साकिन गालड़ तहसील राजगढ जिला चुरू (राज0)

–– रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 43 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, दिनांक 07.09.2022
प्र. सं. 476/2013 अनवान सोहनलाल बनाम प्रताप सिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपस्थितिः–

श्री विजय कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरीसिंह सिहाग, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 1, 3 ता 6
श्री राजेश कौशिक अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 7

निर्णय दिनांक 17.04.23

1. अपीलाण्ट के पिता सोहनलाल ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। जिसमें खसरा नं. 295 की खसरा नं. 239 की 5.564 है0 भूमि में वादी व प्रतवादीगण का ब.हि.ब. 1/7 –1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष मांगा। दौराने वाद वादी कै फौत हो जाने पर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद नही होने के कारण खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया अधिवक्ता वादी द्वारा आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो जो लगभग 150 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया वैसे भी वादी की मृत्यु से 92 दिवस ही हुए थे इस प्रकार आवेदन पत्र प्रस्तुती में अत्यधिक घोर लापरवाही नही की गई थी विचारण न्यायलाय को सहानुभूति पूर्ण विचार कर वाद के उपशमन को अपास्त कर वादी के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करना चाहिये था। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जो विधि के सुस्थापित विद्धान्तों के अनुसार न्यायहित में पक्षकारों के अधिकार गुणावगुण पर आधार पर तय किये जाने चाहिए थे ताकि पक्षकारान को न्याय मिल सके। तकनीकी आधार पर किसी पक्षकार को अपने हक से वंचित नहीं कराया जा सकता है। अपीलाण्ट के पिता के फौत होने सम्बन्धित कथन अपने अधिवक्ता की जानकारी होने से उन्हें शीध्र नहीं दी जा सकी थी क्यों कि प्रकरण में समुचित पैरवी अपीलाण्ट के पिता सोहनलाल ही करते थे। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (15) पेज 2008 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय में वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.01.2018 को पेश किया गया है जो कि निर्धारित समय सीमा 90 दिवस के बाद पेश किया गया है ना ही वकील वादी द्वारा समय सीमा प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी अन्दर मियाद/परिसीमिति समय सीमा में नही होने कारण संपोषणिय नही होना मानते हुए वाद वादी उपशमन के आधार पर खारिज किया है। वादी की मृत्यु दिनांक 17.10.2017 को हुई थी एवं वादी के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.01.2018 को पेश किया था वादी की मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस ही हुए थे इस प्रकार आवेदन पत्र प्रस्तुती में अत्यधिक घोर लापरवाही पूर्ण कोई देरी नहीं मानी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार न्यायहित में पक्षकारों के अधिकार गुणावगुणके आधार पर तय किये जाने थे ताकि पक्षकारान को पूर्ण न्याय मिल सके। तकनीकी आधार पर किसी पक्षकार को अपने हक वंचित किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रक) भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.09.2022 निरस्त किया जाता है एवं अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी 500/–(पांच सौ रूपये मात्र) की कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है। वादी के वारिसान को अभिलेख पर लिया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यापयालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पहले प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा आदेश 7 नियम 11 (डी) सपठित धारा 151 सीपीसी का निर्णय करे। जहां तक शांति देवी पत्नी कासीराम की भूमि के विरासतन इंतकाल का प्रश्न है इस संबंध में संबंधित तहसीलदार/ ग्राम पंचायत विधि अनुसार विरासतन नामान्तरण करने हेतु स्वतंत्र है जिसमें इस न्यायालय का किसी प्रकार का स्थगन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 17.4.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.4.23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)